No. 11/1/2020-Waqf Government of India Ministry of Minority Affairs Waqf Division

> 11th Floor, Deendayal Antyodaya Bhawan , CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

> > Dated the 8th August, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Publication of advertisement for the post of Nazim, DKS, Ajmer

The undersigned is directed to enclose for publication a copy of each of the advertisement in English, Hindi and Urdu, calling for application for filling up the post of Nazim, Durgah Kwhaja Saheb, Ajmer

- 2. It is therefore, requested to make an arrangement for the publication of approved advertisement in the **EMPLOYMENT NEWS** and Leading National / Regional Dailies (English, Hindi & Urdu).
- 3. The concerned newspapers may be instructed to send the clippings of the issue in which the advertisement is published to this Division immediately.

Encls: as above

(Ujjwal Kumar Sinha) Under Secretary (Durgah)

US (Media)

Copy to: The Sr. Technical Director, NIC, MoMA- with request upload the advertisement on Ministry's website.

No. 11/1/2020-Waqf Government of India Ministry of Minority Affairs Waqf Division

This Ministry of Minority Affairs, Government of India invites applications from eligible candidates for the post of Nazim, Durgah Khwaja Saheb, Ajmer, who fulfil the following criteria:

ESSENTIAL QUALIFICATIONS	The candidate should:
AND EXPERIENCE:	a) Be a person serving in or who has retired from a post equivalent to a Deputy Secretary / Director in the Central Government/State Government / Central or State Autonomous Body / Public Sector Undertaking/Armed Forces/Central Para-military Forces;
	b) Have at least 5 years experience in a supervisory capacity dealing with administrative, legal, revenue and financial matters to allow him to liaise with different Departments of the Central Government and the Rajasthan Government;
	c) Be a Hanafi Muslim and a citizen of India;
	d) Be a devotee of Khwaja Saheb (R.A.), Ajmer; and
	e) At least a graduate from a recognized university with working knowledge of Urdu.
ELIGIBILITY:	A person serving in or who has retired from a post equivalent to a Deputy Secretary / Director in the Central Government / State Government / Central or State Autonomous Body/Public Sector Undertaking / Armed Forces / Central Para-military Forces is eligible to apply.
AGE:	The person should be between 35 years and 55 years. Relaxation in deserving cases will be given subject to fulfillment of essential qualifications and experience detailed in paragraph 1 above.
DESIRABLE QUALIFICATIONS:	Candidates belonging to an organized Central or State Service/ Armed Forces/ Central Para-military Forces and having experience in handling legal, administrative, revenue and financial matters will be preferred.
TENURE:	A person employed in the Central Government/ State Government/ Central or State Autonomous Body / Public Sector Undertaking / Armed Forces / Central Para-military Forces, will, if selected, be appointed for an initial period of two years. The term of appointment can be extended from time to time but in no case will such a person be allowed to continue to function as Nazim beyond the age of 60 years.
	A retired person will, if selected, be appointed for an initial period of two years. The term of appointment can be extended from time to time but in no case will such a person be allowed to continue to function as Nazim beyond the age of 65 years.
	The pay of a person serving with the Central Government / State Government / Central or State Autonomous Body / Public Sector Undertaking / Armed Forces / Central Para-military Forces, if selected for appointment as Nazim, will be protected.

	In case of an officer who has retired from a Central / State Autonomous Body or a Public Sector Undertaking and who does not earn a pension, is selected for appointment as Nazim, his pay will be fixed appropriately in the Pay Matrix Level 12 (Rs. 78800 to Rs. 209200) of 7th CPC. He will earn increments in this pay band during the time he is appointed as Nazim as per rules of the Central Government. However, the service as Nazim is non-pensionable. In case a retired person, who draws a pension from whatever source, is selected for appointment as Nazim, such a person will continue to draw his
	pension including other benefits like dearness relief on pension and will in addition be paid a remuneration on the formula of last pay drawn-pension + DA as admissible from time to time.
ACCOMMODATION:	Rent-free accommodation will be provided to the Nazim at Ajmer.
CONVEYANCE:	A car is placed at the disposal of the Nazim to allow him to perform his official duties.
GENERAL CONDITIONS:	a) The candidates presently employed in the Central Government / State Government / Central or State Autonomous Bodies / Public Sector Undertakings / Armed Forces / Central Para-military forces, must apply through proper channel.
	b) The candidates when intimated will be required to present themselves for a personal interview.
	c) The Central Government reserves the right to relax the qualifications / experience and age limit for outstanding and exceptionally deserving candidates.
How to apply:	Sealed signed applications (in original) should be sent through post, so as to reach the undersigned latest by 30 days from the date of publication of advertisement stating name of applicant, father's name, permanent address, present address, date of birth, educational and professional qualifications, division / class obtained in each examination (from Matriculation onwards) with the name of Institute / University from which the qualifications have been acquired, details of experience and jobs handled, name of employer(s), posts held with designations, salary or pension drawn, present scale of pay, breakup of Gross salary, whether a Hanafi Muslim and a devotee of Khwaja Saheb (R.A.)
ADDRESS FOR FORWARDING APPLICATIONS:	The application should be sent to the following address in sealed envelope and should be superscribed with the words "APPLICATION FOR THE POST OF NAZIM" on the envelope: Shri Nijamuddin, Director (Durgah), Ministry of Minority Affairs, West Block-8,Wing-II First Floor, Sector-1 R.K. Puram New Delhi 110066

फा.सं. 11/1/2020—वक्फ भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ प्रभाग

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर में नाजिम के पद के लिए उन पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों :--

अनिवार्य अर्हताएं एवं	अभ्यर्थी को –
अनुभवः	क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय अथवा राज्य स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सैन्य बलों/केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में उप सचिव/निदेशक के समकक्ष पद पर कार्यरत अथवा ऐसे पद से सेवानिवृत्त हुआ व्यक्ति होना चाहिए;
	ख) प्रशासनिक, कानूनी, राजस्व और वित्तीय मामलों से जुड़े कार्यों का निष्पादन पर्यवेक्षकीय क्षमता में करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए ताकि वह केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा राजस्थान सरकार के साथ संपर्क कर सके।
	ग) 'हनफी मुस्लिम' और भारतीय नागरिक होना चाहिए;
	घ) ख्वाजा साहेब (रा.अ.) अजमेर का श्रद्धालु होना चाहिए; और
	ङ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त और उर्दू का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
पात्रता :	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय अथवा राज्य स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सैन्य बलों/केन्द्रीय अर्धसैनिक बल में उप सचिव/निदेशक के समकक्ष पद पर कार्यरत अथवा ऐसे पद से सेवानिवृत्त हुआ व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र है।
आयु :	आवेदक की आयु 35 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विशेष मामलों में आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी, बशर्ते कि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं एवं अनुभव की शर्त को पूरा किया जाए।
वांछनीय अर्हताएं :	केन्द्र अथवा राज्य सरकार की संगठित सेवा/सैन्य बलों/केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में कार्य कर रहे उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जो कानूनी, प्रशासनिक, राजस्व और वित्तीय मामलों से जुड़े कार्यों के निपटान कार्य का अनुभव रखते हों।
कार्यकाल :	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय अथवा राज्य स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ सैन्य बलों/केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में कार्यरत व्यक्ति के चुने जाने की स्थिति में उसकी नियुक्ति आरंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी। नियुक्ति की अवधि को समय—समय पर बढ़ाया जा सकता है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 60 वर्ष से अधिक आयु के बाद नाजिम के रूप में कार्य करने की अनुमित नहीं होगी।
	यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति का चयन किया जाता है तो उसे आरंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति की अवधि को समय—समय पर बढ़ाया जा सकता है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 65 वर्ष से अधिक आयु के बाद नाजिम के रूप में कार्य करने की अनुमित नहीं होगी।

केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय अथवा राज्य स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / सैन्य बलों / केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में कार्य कर रहे व्यक्ति की नियुक्ति नाजिम के पद पर हो जाने पर उनका पूर्ववर्ती वेतन संरक्षित रहेगा।
केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से सेवानिवृत्त हुए तथा जो पेंशन प्राप्त न कर रहा हो, नाजिम के पद पर नियुक्ति हेतु चुने जाने वाले ऐसे अधिकारी का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल—12 (78800 रु. से 209200 रु.) तथा ग्रेड वेतन 7,600/- में समुचित रूप से निर्धारित किया जाएगा। केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार उसे नाजिम पद पर नियुक्त रहने के दौरान इस पे बैंड में वेतन वृद्धियां भी प्राप्त होंगी। तथापि, नाजिम के रूप में सेवा गैर—पेंशनी है।
सेवानिवृत्त व्यक्ति के मामले में, जो किसी भी स्रोत से पेंशन प्राप्त कर रहा हो, का नाज़िम के रूप में नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है, ऐसा व्यक्ति पेंशन तथा पेंशन पर मंहगाई राहत जैसे अन्य लाभ प्राप्त करता रहेगा और इसके अलावा उसे समय—समय पर यथा स्वीकार्य अंतिम आहरित वेतन—पेंशन+डीए के फॉर्मूले पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
नाज़िम को अजमेर में किराया—मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
नाज़िम को अपने कार्यों के निर्वहन हेतु एक कार भी उपलब्ध कराई जाएगी।
क) वर्तमान में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय अथवा राज्य स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सैन्य बलों/केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्त अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए।
ख) अभ्यर्थियों को सूचना प्राप्त होने पर स्वयं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।
ग) केन्द्र सरकार के पास उत्कृष्ट/विशेष रूप से पात्र अभ्यर्थियों को अर्हताओं/अनुभव तथा आयु—सीमा में छूट प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
मुहरबंद एवं हस्ताक्षरित आवेदन (मूल रूप में) निर्धारित प्रपत्र में डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए तािक अधोहस्ताक्षरी के पास इस विज्ञापन के प्रकािशत होने की तारीख से अधिकतम 30 दिनों तक पहुंच जाएं। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, जन्म तिथि, शैक्षिक एवं व्यावसाियक अर्हताएं, प्रत्येक परीक्षा (मैट्रिकुलेशन से आरंभ करते हुए) में प्राप्त श्रेणी, संस्थान / विश्वविद्यालय का नाम जहां से अर्हताएं प्राप्त की गई हैं, अनुभव और किए गए कार्यों के ब्यौरे, नियोक्ता (नियोक्ताओं) का नाम, पद नाम सहित धारित पद, लिए जा रहे वेतन अथवा पेंशन की रािश, वर्तमान वेतनमान, सकल वेतन के ब्यौरे, क्या हनफी मुस्लिम और ख्वाजा साहेब (रा.अ.) के श्रद्धालु है, का उल्लेख होना चाहिए।
आवेदन—पत्र मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर
साफ-साफ अक्षरों में "नाजिम पद के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए –
श्री निजामुद्दीन, निदेशक (दरगाह), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पश्चिम ब्लॉक—8, विंग—II प्रथम तल, सेक्टर—1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली—110066